न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 23/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड, पता–ई–145, सैकण्ड एंव थर्ड फ्लोर, रमेश मार्ग, अपोजिट सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी जितेन्द्र शर्मा

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **निखिल ज्वैलर्स जरिये प्रोपराईटर इन्द्र चन्द सोनी**
   पता:– वार्ड नं. 16, पुरानी शॉप नम्बर जी–1, महारानी प्लाजा, ग्राउण्ड फ्लोर, सुभाष चौक, जनाना ड्योडी, सीकर (राज.) 332001 एवं ग्राउण्ड फ्लोर, महारानी प्लाजा कॉम्पलेक्स, वार्ड नम्बर 16 पुराना सुभाष चौक, सीकर, तहसीलव जिला सीकर (राज.) 332001
2. **मीना देवी**
   पता:– फतेहपुरी गेट के बाहर, डांगा की नसियां के पास, वार्ड नम्बर 09, सीकर (राज.) 332001
3. **इन्द्र चन्द सोनी पुत्र कान्ता प्रसाद सोनी**
   पता:– वार्ड नं. 28, डांगा की नसियां के पास, फतेहपुरी गेट के बाहर, सीकर(राज.) 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांक: 17 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **निखिल ज्वैलर्स, मीना देवी** एवं **इन्द्र चन्द सोनी पुत्र कान्ता प्रसाद सोनी** की ओर से

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **इन्द्र चन्द सोनी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **कॉमर्शियल सम्पत्ति निर्मित दुकान नंबर–जी–01 (छत के अधिकार के बिना) ग्राउण्ड फ्लोर, महारानी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं. 16 (पुराना) सुभाष चौक, सीकर, तहसील व जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दुकान नंबर जी–12, पश्चिम दिशा में बरामदा (चौक) उसके बाद खुला सेट बैंक और सार्वजनिक रास्ता, उत्तर दिशा में दुकान नंबर जी–2 एवं दक्षिण दिशा में खुला सेट बैंक स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹25,00,000/– (अक्षरे रूपये पच्चीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **15.06.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **15.06.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **निखिल ज्वैलर्स, मीना देवी** एवं **इन्द्र चन्द सोनी पुत्र कान्ता प्रसाद सोनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **इन्द्र चन्द सोनी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **कॉमर्शियल सम्पत्ति निर्मित दुकान नंबर–जी–01 (छत के अधिकार के बिना) ग्राउण्ड फ्लोर, महारानी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं. 16 (पुराना) सुभाष चौक, सीकर, तहसील व जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दुकान नंबर जी–12, पश्चिम दिशा में बरामदा (चौक) उसके बाद खुला सेट बैंक और सार्वजनिक रास्ता, उत्तर दिशा में दुकान नंबर जी–2 एवं दक्षिण दिशा में खुला सेट बैंक स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **17 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर